सीएसआइआर - केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर - 30 सी , चंडीगढ़ 160030

सं॰ सीएसआईओ/बिल(मेडिकल)/2017 दिनाक : 06.03.2017

कार्यालय ज्ञापन

बिषय : **सीएसआइआर- सीएसआईओ स्टाफ सदस्यो, पेंशनभोक्ताओ और उनके आश्रित परिवार के सदस्यो को क्रेड़िट आधार पर दवाइयो की आपूर्ति ।**

सभी स्टाफ सदस्यो तथा पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित केमिस्ट के पैनल को सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श पर दिनाक 06.03.2017 से दो वर्ष की अवधि (06.03.2017 से 05.03.2019) के लिए निम्नलिखित निबंधन एव शर्तो पर क्रेडिट आधार पर दवाइयो की आपूर्ति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

M/s. Shivangee Medicos
Shop No. 1, Bank Road
Main Bazar, Burail, Chandigarh

निबंधन एव शर्ते :

1. कैमिस्ट सीएसआइआर- सीएसआईओ स्टाफ, पेंशनरो और उनके परिवार के आश्रित सदस्यो को सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी की गई परामर्श पर्ची प्रस्तुत करने पर आवश्यकतानुसार बताई गयी जगह पर अथवा चिकित्सा अधिकारियो के निदेशानुसार तत्काल दवाइयो की आपूर्ति करेगे |

2. कैमिस्ट स्टाफ, पेंशनरो तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यो को दवाए देने के बाद परामर्श पर्चियों के पिछली ओर एवं इन्वायसो/ बिलो पर उनके हस्ताक्षर (स्टाफ/पेंशनरो की आई डी संख्या सहित) लेंगे |

3. समस्त प्रमार्शित पर्चीयो एव रसीद सहित व मुहर लगे समेकित बिल (तीन प्रतिया) इन्वायस के साथ सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों को इस जांच के लिए प्रस्तुत करने होगे कि रोगियो को उपलब्ध करवाई गई दवाए परामर्श पर्चीयो के अनुसार है तथा बिलो पर अधिकारी ने भुगतान हेतु विधिवत संस्तुति की है | संबन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिल की जांच/सत्यापन के बाद कार्यालय द्वारा भुगतान के लिए कार्यवाई की जाएगी | कैमिस्ट स्टाफ सदस्यो एव उनके परिवार के आश्रित सदस्यो तथा पेंशनरो एव उनके परिवार के आश्रित सदस्यो के लिए अलग-अलग समेकित बिल प्रस्तुत करेगे | भुगतान, प्रमाणित बिलों की प्राप्ति की तारीख से समय की उचित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दवा की दुकान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ।

Contd...p/2...

4. यह पैनल शुरू में दिनांक 06.03.2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसमे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर विस्तार का प्रावधान है । निदेशक सीएसआइआर-सीएसआईओ द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन के अभाव में इसे तीन माह का नोटिस देकर कभी भी खत्म किया जा सकता है |

5. सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना एवजी दवा तथा दवाओं की कम आपूर्ति स्वीकार नही की जाएगी |

6. दवाओ की कटी हुई स्ट्रिप्प्स एव खुली दवाए तब तक स्वीकार्य नही होगी जब तक उन पर बैच नंबर एव प्रयोग निषेध तिथि न लिखी हो। यदि यह पाया जाता है कि कोई विशेष दवा की तिथि समाप्त हो गयी है, या घटिया या नकली है, या परामर्श पर्ची के अनुरूप नहीं है, तो केमिस्ट को सीएसआईआर-सीएसआईओ की निविदा में भाग लेने के लिए भविष्य में 03 वर्ष के लिए काली-सूची/निलंबित/वंचित किया जा सकता है।

7. कैमिस्ट ऐसा प्रमाणपत्र देगे कि प्रत्येक बिल मे लिया गया मूल्य प्रकाशित मूल्य (एमआरपी) से अधिक नही है |

8. आपूर्ति की जाने वाली दवाए नवीनतम बैच की होनी चाहिए तथा इसकी समाप्ति तिथि आपूर्ति तिथि से कम से कम छः माह बाद तक की होनी चाहिए |

9. पैनल के उप-अनुबंध संबंधी किसी भी मामले में अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. निदेशक सीएसआईआर-सीएसआईओ या उसके अधिकृत प्रमुख दवाओं की आपूर्ति के परिसर का दौरा / नामित जगह के निरीक्षण करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं । हालांकि, चिकित्सा अधिकारी, सीएसआईओ-सीएसआईओ डॉक्टर के पर्चे के अनुसार वास्तविक आपूर्ति की जा रही दवाओं के सत्यापन / जाँच तथा उचित नियंत्रण के लिए और रोगियों द्वारा उनके उपयोग/उपभोग को सुनश्चित करने हेतु अपने स्वयं के मानदंड तय कर सकते हैं ।

6/3/17

(सुकेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

प्रति :-

1. लेखा अनुभाग : बिल की कुल राशि मे से @ 23.4% की कटौती करके बिल पास करने हेतु
2. सभी अनुभाग/प्रभाग प्रमुख - इन्टरनेट के माध्यम से
3. चिकित्सा अधिकारी, सीएसआईआर-सीएसआईओ
4. प्रभागी, एमआईएस - सीएसआईओ इंटरानेट पर अपलोड़ करने हेतु
5. समस्त सूचना पट्ट
6. निजी सचिव, निदेशक

CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C CHANDIGARH- 160030

No.CSIO/Bill(Med.)/2017 March 6, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Supply of medicines on credit basis to CSIO Staff, Pensioners and their dependent family members – reg.**

It is notified for information of all staff members and pensioners that the Competent Authority has approved empanelment of the following chemist for supply of medicines on the prescription of Medical Officer(s) of CSIR-CSIO Clinical Centre on credit basis for a period of two years from the date of award letter i.e. w.e.f. 06.03.2017 to 05.03.2019 on the following terms and conditions :

M/s. Shivangee Medicos
Shop No. 1, Bank Road
Main Bazar, Burail, Chandigarh

Terms and Conditions :

1. The Chemists will make the supply of the day to day requirements of medicines at the designated place in CSIO Clinical Centre to the staff, pensioners, family pensioners and their dependant family members immediately against the prescription slip issued by Medical Officers of CSIR-CSIO Clinical Centre directly or as directed by the Medical Officers of CSIR-CSIO.

2. The Chemists will issue medicines to staff members/pensioners and their family members and get the signatures of patients (along with ID Nos of the Staff Members/pensioners) on reverse of the prescription slips and invoices/bills.

3. All the prescription slips and invoices along with pre-receipted and stamped consolidated bills in triplicate would be submitted to Medical Officer(s) in CSIR-CSIO Dispensary for certification/verification that the medicines supplied to the patients are as per prescription and invoices are duly recommended by him/her for payment. After certification/verification by the concerned Medical Officers of CSIR-CSIO, the bills will be processed for payment by the office. The consolidated bills would be prepared by the Chemists separately for regular staff/their family members and pensioner/their family members. The payments would be credited to the Bank Account of Chemist through electronic mode within reasonable period of time from the date of receipt of the certified bills.

Contd...p/2...

4. The period of empanelment will be initially for two years w.e.f. 06.03.2017 with a provision of extension on satisfactory performance. Empanelment can be terminated at any time on three month's notice by the Director, CSIR-CSIO for want of satisfactory services.

5. Substitute medicines and short supply of medicines will not be accepted unless permitted by the Medical Officers of CSIR-CSIO Dispensary.

6. Cut strips and loose medicines will be accepted only after showing batch number and expiry date. In case, it is found that any particular medicine has expired, or is substandard or spurious, or not as per prescription slip, the Chemist will be liable to be black-listed/suspended/debarred for a period of 03 (three) years for future participation in CSIR/CSIO tender.

7. The Chemists will record a certificate that the price charged in each bill is not more than the printed price (MRP).

8. The supplied medicines should be of latest batch and their expiry date should not be less than six month from the date of supply.

9. The sub-contract of the empanelment will not be allowed in any case.

10. Director CSIR-CSIO or his authorized heads reserves the right to visit/inspect the premises/designated place of supply of medicines. However, Medical Officer(s) of CSIR-CSIO may adopt their own criteria for checking/verification and for proper control so as to ensure that medicines are actually being supplied as per the prescription of the doctor and utilized/consumed by patients.

6/3/17

(Sukesh Kumar)
Section Officer

Copy to :

1. Finance & Account Section : with the request to pass the bills after deduction of discount @ 23.4%.
2. All Incharge Verticals/Horizontal/Division/Sectional – through Intranet
3. Medical Officer(s) of CSIR-CSIO
4. Head MIS – with the request to upload on CSIR-CSIO intranet.
5. All Notice Boards
6. PS to Director